छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19
नया, रायपुर (छ.ग.) 492002
ई–मेल– hocecb@gmail.com

क्रमांक /मुख्यालय/तक./छ.ग.प.सं.मं./2017 नया रायपुर, दिनांक / /2017

--::<u>कार्यालय आदेश</u>::--

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् उद्योगों/संस्थाओं को सशर्त स्थापना सम्मति तथा संचालन सम्मति जारी की जाती है। साथ ही उद्योगों/संस्थाओं को जारी संचालन सम्मति का सशर्त नवीनीकरण किया जाता है।

उद्योगों/संस्थाओं द्वारा इकाईयों/कार्यकलापों की स्थापना करने के पश्चात् संचालन सम्मति हेतु आवेदन किया जाता है। संचालन सम्मति आवेदन की जॉच के दौरान कई बार ऐसी स्थिति पाई जाती है कि उद्योगों/संस्थाओं द्वारा यद्यपि अधिकांश शर्तों का पालन कर लिया गया होता है, तथापि कुछ शर्तों का आंशिक रूप से पालन किया गया होता है अथवा पालन किया जाना शेष होता है।

उद्योगों/संस्थाओं को कई बार निस्त्राव/उत्सर्जन के मानक में कड़ाई करने, प्रदूषण नियंत्रण के आधुनिक तकनीक को अपनाये जाने के फलस्वरूप स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुधार/उन्नयन आदि के दृष्टिकोण से कुछ विशिष्ट कार्य करने हेतु समयसीमा निर्धारित करते हुए संचालन सम्मति का नवीनीकरण किया जाता है। इसी अनुक्रम में आंतरिक सड़कों का पक्कीकरण करने, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करने, गारलेण्ड ड्रेन बनाने, स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, वृक्षारोपण करने आदि शर्तों के पालन हेतु कार्यवाही पूर्ण करने के लिए भी समयसीमा निर्धारित करते हुए संचालन सम्मति अथवा सम्मति नवीनीकरण जारी किया जाता है। उद्योगों/संस्थाओं द्वारा संचालन सम्मति के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की जॉच के दौरान भी कई बार ऐसी स्थिति पाई जाती है कि उद्योगों/संस्थाओं द्वारा यद्यपि अधिकांश शर्तों का पालन कर लिया गया होता है, तथापि कुछ शर्तों का आंशिक रूप से पालन किया गया होता है अथवा पालन किया जाना शेष होता है।

उद्योगों/संस्थाओं द्वारा स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के आंशिक रूप से पालन अथवा पालन शेष शर्तों के पालन करने हेतु समय दिया जाता रहा है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि उद्योगों/संस्थाओं द्वारा शर्तों का पालन पूर्ण करने की दिशा में संतोषजनक कार्यवाही नहीं करते हुए बार–बार समय की मॉग की जाती है, जो कि उचित नहीं मानी जा सकती है। अतएव शर्तों के पालन की दिशा में सक्षम कार्यवाही करने हेतु उद्योगों/संस्थाओं की प्रतिबद्धता आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार आदेशित किया जाता है:-

(अ) उद्योगों/संस्थाओं द्वारा स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के आंशिक रूप से पालन अथवा शेष शर्तों के पालन करने हेतु समय मॉग किये जाने की दशा में शर्तों के पालन हेतु बैंक गारंटी सहित प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

1. उद्योगों/संस्थाओं द्वारा स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के आंशिक रूप से पालन अथवा पालन शेष शर्तों के पालन करने हेतु निर्धारित राशि का बैंक गारंटी प्रस्तुत करते हुए समय की मॉग करने पर उसे मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रकरण अनुसार अध्यक्ष अथवा सदस्य, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को होगा।
2. उद्योग/संस्था में किये गये कुल विनियोग का 0.25 प्रतिशत की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जावेगी।
3. उद्योग द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर शर्तों को पूर्ण रूप से पालन करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना का उल्लेख कर समयसीमा में लागू करने हेतु प्रतिबद्धता उद्योग/संस्थाओं के मालिक/प्रबंध संचालक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावे।
4. बैंक गारंटी की वैधता अवधि शर्तों को पूर्ण रूप से पालन करने हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष बाद तक की अवधि तक रहेगी।
5. यदि अण्डरटेकिंग के अनुसार उद्योग/संस्था द्वारा शर्तों को पूर्ण रूप से पालन करने हेतु कार्ययोजना में दी गई समयसीमा में वृद्धि करने हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो गुणदोषों के आधार पर समयसीमा बढ़ाने के निर्णय का अधिकार संचालन सम्मति के प्रकरणों में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को तथा सम्मति नवीनीकरण के प्रकरणों में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को होगा। बशर्ते उद्योग/संस्था द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बैंक गारंटी की वैधता उद्योग/संस्था द्वारा वांछित समयसीमा में वृद्धि की तिथि से कम से कम एक वर्ष बाद की अवधि का हो, अथवा वैधता अवधि बढ़ाकर बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई हो।
6. बैंक गारंटी की वापसी अथवा जप्ती का अंतिम अधिकार संचालन सम्मति के प्रकरणों में अध्यक्ष तथा सम्मति नवीनीकरण के प्रकरणों में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को होगा।

उपरोक्तानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर आवेदित अवधि के लिए संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण जारी करने पर विचार किया जा सकेगा। तथापि संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की अवधि के संबंध में अंतिम निर्णय प्रकरण अनुसार अध्यक्ष अथवा सदस्य, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को होगा।

जप्त की गई बैंक गारंटी की राशि को बोर्ड के विशेष मद् "बोर्ड के कार्यकलाप एवं कर्तव्य" के अंतर्गत् एकत्रित किया जावेगा, जिसे बोर्ड के कियाकलापों एवं कर्तव्यों के पालनार्थ चलाए जाने वाली परियोजनाओं अथवा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 में उल्लेखित कृत्यों के निर्वहन पर व्यय किया जावेगा। यदि यह राशि

किसी अन्य मद् में खर्च की जानी है, जो इस हेतु राज्य बोर्ड से पृथक से अनुमति ली जाकर कार्यवाही की जावे।

(ब) उद्योगों/संस्थाओं द्वारा स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के आंशिक रूप से पालन अथवा शेष शर्तों के पालन करने हेतु समय मॉग किये जाने की दशा में शर्तों के पालन हेतु बैंक गारंटी के बिना प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :—

1. उद्योगों/संस्थाओं द्वारा स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के आंशिक रूप से पालन अथवा पालन शेष शर्तों के पालन करने हेतु समय की मॉग करने पर उसे मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रकरण अनुसार अध्यक्ष अथवा सदस्य, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को होगा।
2. उद्योग द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर शर्तों को पूर्ण रूप से पालन करने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना का उल्लेख कर समयसीमा में लागू करने हेतु प्रतिबद्धता उद्योग/संस्थाओं के मालिक/प्रबंध संचालक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावे।
3. यदि अण्डरटेकिंग के अनुसार उद्योग/संस्था द्वारा शर्तों को पूर्ण रूप से पालन करने हेतु कार्ययोजना में दी गई समयसीमा में वृद्धि करने हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो गुणदोषों के आधार पर समयसीमा बढ़ाने के निर्णय का अधिकार संचालन सम्मति के प्रकरणों में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को तथा सम्मति नवीनीकरण के प्रकरणों में सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को होगा। बशर्तें उद्योग/संस्था द्वारा उपरोक्त कंडिका (अ) में वर्णित अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जावे।

उपरोक्तानुसार अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर केवल उस अवधि तक के लिए संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण जारी करने पर विचार किया जा सकेगा, जिस अधिकतम अवधि हेतु उद्योग/संस्था द्वारा आंशिक रूप से पालन अथवा शेष शर्तों के पालन करने हेतु समय की मॉग की गई है। संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की अवधि के संबंध में अंतिम निर्णय प्रकरण अनुसार अध्यक्ष अथवा सदस्य, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को होगा।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1061 / मुख्यालय / तक. / छ.ग.प.सं.मं. / 2017 नया रायपुर, दिनांक 12/6/2017

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर / भिलाई-दुर्ग / बिलासपुर / कोरबा / रायगढ़ / अंबिकापुर / जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. अनुभाग अधिकारी (लेखा), मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नया रायपुर (छ.ग.)

D/CECB/Bank Gurantee – Office Order.doc